श्रेणी
SERIES : II

Daman 21st April, 2017 01 Vaisakha 1939 (Saka) सं. No. : 14

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
शहरी विकास विभाग,
दमण

सं. शहरी विका./दमण/फैरी विक्रेता अधि.268 (भाग-3)/2016/484, दिनांक : 31/08/2016

अ धि सू च ना

संविधान के अनुच्छेद-239 के खंड-(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों तथा फेरी विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फेरी बिक्री विनियमन) अधिनियम, 2014 (वर्ष 2014 का 7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एस.ओ. 2325 (ई), दिनांक 6 जुलाई, 2016 के तहत गृह मंतत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासक को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में प्रशासक, दमण एवं दीव एतद्द्वारा संघ प्रदेश दमण एवं दीव हेतु उक्त अधिनियम की धारा-38 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात :-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इस स्कीम को "दमण एवं दीव फेरी विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फेरीबिक्री विनियमन) स्कीम, 2016" कहा जायेगा।

(2) यह संघ प्रदेश दमण एवं दीव के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रकृत्त होगा।

2. परिभाषायें :- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) "अधिनियम" का आशय फेरी विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फेरी बिक्री विनियमन) अधिनियम, 2014 (वर्ष–2014 का केन्द्रीय अधिनियम–7) है।

(ख) "अनुलग्नक" का आशय इस स्कीम के साथ संलग्न अनुलग्नक से हैं;

(ग) "सरकार" का आशय संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक से हैं;

(घ) "प्रपत्र" का आशय इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र से हैं;

(ड़) "नियमावली" का आशय उक्त अधिनियम की धारा–36 के तहत बनाई गई नियमावली से हैं;

(च़) "अनुसूची" का आशय उक्त अधिनियम या नियमावली, जैसा भी मामला हो, के साथ संलग्न अनुसूची से हैं;

(छ) "धारा" का आशय उक्त अधिनियम की धारा से हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित, परंतु उक्त अधिनियम व उक्त नियमावली में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो उक्त अधिनियम या नियमावली, जैसा भी मामला हो, में उन्हें क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय–II

सर्वेक्षण कराने का तरीका

3. <u>सर्वेक्षण कराने का तरीका :-</u> (1) नगर फेरी–बिक्री समिति इस स्कीम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीनो के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में स्थल सत्यापन कर सभी मौजूदा फेरी बिक्रेताओं का पता लगाने एवं प्रपत्र–I में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरा का संग्रह करने हेतु सर्वेक्षण करायेंगे एवं इसे पूरा करेंगे :

बशर्ते कि उक्त सर्वेक्षण अंचलवार या वार्डवार या क्षेत्रवार आयोतिज एवं पूरा किया जाए, जैसा शहर फेरी–बिक्री समिति द्वारा उचित समझा जाए;

इसके अतिरिक्त और यह भी है कि सर्वे तब तक पूर्ण हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि इसे शहर फेरी बिक्री समिति के समक्ष नहीं रखा जाता एवं यह अनुमोदित नही हो जाता।

(2) शहर फेरी समिति स्थानीय समाचार–पत्रों तथा बाजारों में सुस्पष्ट स्थलों पर नोटिस के जरिए सर्वेक्षण की तिथि, शामिल किया जाने वाला क्षेत्र, सर्वेक्षण के नोडल अधिकारी, सर्वेक्षण के प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि व समय, बिक्री स्थलों पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने की आवश्यकता संबंधी जानकारी प्रकाशित करेंगे।

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

(3) शहर फेरी-बिक्री समिति ऐसे उपयुक्त समय पर सर्वेक्षण सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण करायेंगे कि उक्त क्षेत्र में फेरी-बिक्री करने वाले सभी फेरी बिक्रेताओं का सर्वेक्षण में सम्मिलित करा लिया गया है।

(4) शहरी फेरी-बिक्री समिति सर्वेक्षण करायेंगी, इसका अनुवीक्षण एवं पर्यविक्षण करेगी तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायो/व्यावसायिक संगठनो/विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से मौजूदा फेरी बिक्रेताओं की अवस्थिति का व्यापक डिजिटलीकृत फोटो-बायोमेट्रिक जनगणना, जी.आई.एस. मानचित्रण (मैपिंग) द्वारा इसे कार्यानिवत करेगी।

(5) सर्वेक्षण प्रपत्र कंप्यूटर जनित होगा तथा इसमें यूनिक बारकोड/आई.डी. तथा प्रपत्र-I में यथा विनिर्दिष्ट विवरणयुक्त पावती रसीद फेरी बिक्रेताओं को संबधित स्थल पर ही दे दिया जाएगा।

(6) उक्त सर्वेक्षण की विडियोग्राफी की जाएगी और फेरी बिक्रेता तथा उसके फेरी-बिक्री स्थल के स्थिर चित्र खींचे जायेंगे, जो कि सर्वेक्षण पंजीकरण का हिसा होगा।

(7) शहर फेरी-बिक्री समिति प्रपत्र-II में यथा विनिर्दिष्ट पंजीका अनुसरण करेंगे, जिसमें सर्वेक्षण में पता लगाये गए फेरी बिक्रेताओं के विवरण सहित सर्वेक्षण की तिथि और सर्वेक्षण का स्थल डिजीटल फार्मेट में शामिल होगा :

बशर्ते कि जब तक कि पंजी के अनुरक्षण हेतु डिजीटल फार्मेट उपलब्ध नहीं है, उक्त विवरण का अनुरक्षण मैनुअल पंजी में किया जाएगा, जो कि स्कीम के प्रारंभ की तिथि से एक वर्ष से ज्यादा की अवधि नही होगी।

अध्याय-III

फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में।

4. फेरी-बिक्रेताओं को फेरी-बक्री प्रमाणपत्र :- (1) सर्वेक्षण द्वारा पता लगाये गए फेरी बिक्रेताओं को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर सर्वेक्षण पूर्ण होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जोकि प्रपत्र-III में यथा विनिर्दिष्ट होगा बशर्ते कि यदि शहर फेरी-बिक्री समिति उचित समझे, यह फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र अंचल बार या बार्ड वार या क्षेत्रवार सर्वेक्षण के बाद उस अंचल या वार्ड या क्षेत्र वार, जैसा कि मामला हो, जारी कर सकती है।

(2) उक्त अधिनियम के प्रावधानों और स्कीम में उद्धत प्रावधानों के अधीन शहर फेरी-बिक्री समिति, जहाँ तक व्यवहार्य हो, यह सुनिश्चित करेगी कि उप-अनुच्छेद-(1) के तहत कराये गए सर्वेक्षण में पता लगाये गए सभी मौजूदा फेरी-बिक्रेताओं को उसी फेरी-बिक्री क्षेत्र में समायोजित किया जाए।

(3) जहाँ सर्वेक्षण में पता लगाये गए फेरी-बिक्रेताओं की संख्या फेरी-क्षेत्र की धारण-क्षमता से अधिक हो और फेरी-बिक्री क्षेत्र में समायोजित किये जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, शहर योजना समिति फेरी-बिक्री क्षेत्र में फेरी-बिक्री हेतु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ड्रा ऑफ लोटस आयोजित करेगी और शेष व्यक्तियों को किसी नई जगह न भेज कर समीपवर्ती फेरी-बिक्री क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा।

(4) जहाँ, दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि में, कोई व्यक्ति फेरी-बिक्री करना चाहता है, तो वह प्रपत्र-IV में यथा विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन करेगा और शहर फेरी-बिक्री समिति ऐसे व्यक्ति को फेरी-बिक्री हेतु योजना में निर्मित प्रावधानों तथा फेरी-बिक्री क्षेत्र की धारण क्षमता के अनुसार फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र प्रदान कर सकती है :

बशर्ते कि जहाँ फेरी-बिक्री हेतु योजना और फेरी बिक्री क्षेत्र की धारण क्षमता के अधीन ऐसे व्यक्तियों को समायोजित करना संभव न हो, शहर फेरी-बिक्री समिति ऐसे व्यक्तियों को प्रतीक्षा सूची विनिर्दिष्ट करते हुए विशिष्ट बारकोड/पहचान-पत्र सहित आवेदन की कंप्यूटर जनित पावती जारी करेंगे, जिनका आवेदन स्वीकार किया गया हो :

बशर्ते आगे यह भी है जब कि फेरी-बिक्री अंचल में उक्त व्यक्तियों को समायोजित करने की संभावना उत्पन्न होती है, शहर फेरी-बिक्री समिति प्रथम परंतुक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पतीक्षा-सूची के अनुसार क्रमानुसार प्रमाणपत्र जारी करेंगी :

बशर्ते यह भी है कि जिन व्यक्तियों का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, उन्हें भी उक्त अस्वीकृति के कारण सहित सूचित किया जाएगा।

(5) शहर फेरी-बिक्री समिति प्रपत्र-V में यथा विनिर्दिष्ट एक पुजीका अनुरक्षण करेंगी, जिसमें उपर्युक्त अनुच्छेद-4 के तहत प्रतीक्षा-सूची के आधार पर नए फेरी-बिक्री बिक्रेता के रूप में पंजीकृत किये गये फेरी-बिक्रेताओं का विवरण होगा।

(6) फेरी-बिक्री का प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध रहेगा, जब तक कि यदि यह निरस्त न किया गया हो।

(7) शहर फेरी-बिक्री समिति द्वारा प्रपत्र-IV में यथा विनिर्दिष्ट एक पंजी का अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें ऐसे फेरी बिक्रेताओं का विवरण रखा जाएगा, जिन्हें फेरी-बिक्री का प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

5. <u>फेरी-बिक्रीं का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मानदंड :-</u> (1) फेरी बिक्रेताओं को प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा, अर्थात :-

(i) उसका नाम शहर फेरी-बिक्री समिति द्वारा कराये गए सर्वेक्षण में आना चाहिए या उसने फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया हो :

(ii) उसके पास जीविकोपार्जन का कोई अन्य उपाय नहीं हो :

(iii) उसने फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि तक चौदह वर्षों की आयु पूरी कर ली हो :

(2) जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, किसी फेरी-बिक्रेता की मृत्यु या अशक्तता की स्थिति में फेरी-बिक्रेता का नामित नगर फेरी-बिक्री समिति को ऐसी मृत्य, अशक्तता या बीमारी के बारे में सूचित करेगा और शहर फेरी-बिक्री समिति फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र में आवश्यक संशोधन करेगी और तद्नुसार पहचान-पत्र जारी करेगी।

6. **<u>फेरी–बिक्रीं प्रमाणपत्र हेतु नियम एवं शर्तें :–</u>** फेरी बिक्रेता जिन्हें फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, वे :–

(i) फेरी–बिक्री का व्यवसाय स्वयं या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के जरिए करेंगे;

(ii) स्थिर फेरी–बिक्रेता के मामले में फेरी बिक्री अपने आबंटित स्थल से और गतिशील फेरी–बिक्रेता के मामले में अपने आबंटित स्थल से फेरी–बिक्री करेंगे और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित फेरी–बिक्री शुल्क का भुगतान करेंगे;

(iii) फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र जारी करते समय सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के साथ–साथ शहर फेरी–बिक्री समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेंगे : फेरी–बिक्री क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का सही स्थिति में अनुरक्षण;

(iv) अनुरक्षण प्रभार आदि का भुगतान किसी भी प्रकार से फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र किराये सहित फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र या उसमें विनिर्दिष्ट स्थल भी अन्य व्यक्ति को अंतहित नहीं करेंगे;

(v) आबंटित स्थल पर कोई स्थाई संरचना का निर्माण नही करेंगे, जब तक कि फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र द्वारा अनुमति न दी गई हो;

(vi) फेरी–बिक्री गतिविधियाँ ऐसी तिथि व समय को जारी रखेंगे, जैसाकि फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र में उल्लेख हो;

(vii) अपने माल व सामग्री को समय साझाकरण अवधि की समाप्ति पर हर दिन हटायेंगे, जब वो समय साझाकरण आधार पर स्थल का अधिभोग करते हैं और

(viii) शहर फेरी–बिक्री समिति द्वारा फेरी–बिक्रेताओं को जारी किये गए फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेंगे।

7. **पहचान पत्र का फॉर्मेट :–** (1) फेरी बिक्री प्रमाणपत्र रखने वाले हरेक व्यक्ति को शहर फेरी बिक्री समिति द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(2) फेरी–बिक्रेता को जारी या नवीकरण किया जाने वाला पहचानपत्र जैसा भी मामला हो, प्रपत्र–VII में होगा।

(3) पहचान पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में फेरी–बिक्रेता प्राथमिक रिपोर्ट की प्रति और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा विदिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कर पहचान–पत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु शहर फेरी–बिक्री समिति को आवेदन कर सकते हैं।

अध्याय–IV

फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण, निलंबन एवं निरसन

8. **फेरी–बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण :–** (1) फेरी बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण तीन वर्षों के बाद स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एवं उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करके तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन किया जा सकता है;

(2) जिन फेरी-बिक्रेता के फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने वाली है, वे प्रपत्र-VIII में यथा विनिर्दिष्ट तरीके से फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र की समाप्ति से दो महीने पहले शहर फेरी-बिक्री समिति को फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन करेंगे।

(3) शहर फेरी-बिक्री समिति ऐसे चूककर्ता फेरी-बिक्रेताओं की सूची प्रकाशित करेंगे, जो फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र के नवीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

(4) शहर फेरी-बिक्री समिति नवीकरण शुल्क के बिना जुर्माना भुगतान हेतु एक महीने की रियायत अवधि प्रदान कर सकती है।

(5) एक महीने की समाप्ति के बाद, फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण बाकी रहने के समय से, फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण ऐसे नवीकरण शुल्क तथा विलंबित अवधि के प्रत्येक दिन हेतु जुर्माना का भुगतान कर किया जा सकता है, जैसा कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) यदि फेरी-बिक्रेता फेरी-बिक्री प्रमाणपत्र की समाप्ति के तीन महीनों के भीतर अपने प्रमाणपत्र का नवीकरण करने में विफल रहता है, तो शहर फेरी-बिक्री समिति उसका प्रमाणपत्र निरस्त कर सकती है।

9. जिस तरीके से बिक्रेता प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

(1.) शहर बिक्री समिति, अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर किसी भी फेरी बिक्रेता के बिक्री प्रमाण पत्र को रद्द या निलंबित कर सकती है।

(2.) जहां शहर बिक्री समिति, लिखित रूप मे दर्ज किये गये कारणों के लिए, संतुष्ट होते हैं कि अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित किसी भी आधार पर बिक्री के प्रमाण पत्र को रद्द करने के प्रश्न लंबित रखकर, फेरी-बिक्रेता को आदेश में यथा उल्लिखित 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करना आवश्यक है एवं आदेश जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे फेरी-बिक्रेता को कारण दिखाने की आवश्यकता होगी कि उस बिक्री प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के सवाल निर्धारिण तक बिक्री गतिविधियों के निलंबन को क्यों विस्तारित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि शहर की बिक्री समिति, फेरी-बिक्रेता की सुनवाई पर, यह राय देती है बिक्री का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाना चाहिए, यह बिक्री के ऐसे प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दे सकता है।

(3.) जहां शहर बिक्री समिति, ने एक फेरी बिक्रेता के बिक्री के प्रमाणपत्र को रद्द करने का आदेश दिया है, ऐसे बिक्रेता अपने बिक्री और पहचान पत्र के प्रमाण पत्र को शहर बिक्री समिति को उस अवधि के भीतर लौटा देगा जैसा कि रद्द करने के क्रम में निर्दिष्ट किया गया है और उसका नाम इस प्रयोजन के लिए रखे रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

अध्याय-V

शुल्क, रिकॉर्ड एवं लेखा परीक्षा

10. **बिक्री फीस** – शहर बिक्री समिति फेरी बिक्रेताओं की श्रेणी, बाजार की स्थिति और क्षेत्र के आधार पर बिक्री (निर्यात) शुल्क तय करेगी, जो विभिन्न शहरों या शहरी क्षेत्र के लिए अलग हो सकती है।

11. बिक्री फीस एकत्र करने का तरीका, रखरखाव खर्च और दंड-

(1.) राशि के उद्देश्य के लिए, अधिनियमों, नियमों और योजना के तहत फेरी बिक्रेता द्वारा देय राशि, चाहे शुल्क या जुर्माना के रूप में हो, के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी किसी भी बैंक में बैंक खाते खोलेंगे जो स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा जैसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया जाएगा।

12. **रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा का रखरखाव** – प्रत्येक शहर बिक्री समिति के खाते का संबधित स्थानीय प्राधिकारी के संबंधित शहरपालिका कानून के प्रावधान के तहत लेखा-परीक्षा की जाएगी।

अध्याय-VI

फेरी बिक्रेताओं की श्रेणियाँ

13. **स्थिर एवं चलायमान बिक्रेताओं के अतिरिक्त फेरी बिक्रेताओं की श्रेणियाँ** – शहर बिक्री समिति अपने क्षेत्र मे अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्थिर बिक्रेता या चलायमान बिक्रेता के अलावा फेरी बिक्रेता की किसी भी अन्य श्रेणी को निर्दिष्ट कर सकती है।

अध्याय-VII

फेरी बिक्रेताओं का स्थानांतरण और निष्कासन

14. **स्थानांतरण के सिद्धांत** – फेरी बिक्रेताओं को स्थानांतरित करने के सिद्धांत उस रूप में होंगे जिन्हें अधिनियम की दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि (जेबी) के तहत प्रदान किया गया था।

15. **फेरी बिक्रेता का स्थानांतरित करने का तरीका :-** (i.) जहाँ उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत शहर बिक्री समिति किसी फेरी बिक्री क्षेत्र या इसके किसी हिस्से को गैर फेरी बिक्री क्षेत्र घोषित करने एवं बिक्री क्षेत्र में फेरी बिक्रेताओं के स्थानातरण के लिए घोषणा करने की सिफारिस करती है एवं फेरी बिक्रेताओं का स्थानान्तरण स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जहाँ तक व्यवहार्य हो, पुनर्वास उसी क्षेत्र में या बिक्री क्षेत्र के पास किया जाएगा।

(ii.) अधिनियम की धारा 18 के तहत शहर बिक्री समिति जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्र या भाग को बिक्री क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करेगी जहाँ पूर्व में कोई बिक्री क्षेत्र नहीं है। अधिनियम की दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि (zb) के अनुसार फेरी बिक्रेताओं के लिए एक उपयुक्त साईट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें।

16. **एक फेरी बिक्रेता के स्थानांतरण या निष्कासन के लिए नोटिस :-**

(1.) स्थानांतरण या निष्कासन के लिए नोटिस, संबंधित मामले के अनुसार, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 3 के तहत व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा निष्कासन से पहले फेरी के बिक्रेता के नाम से जारी होगा।

(2.) यदि पंजीकृत डांक नहीं पहुँचती है तब उस नोटिस को उस इलाके में एक सुस्पष्ट स्थल पर चिपकाया जाएगा जहाँ फेरी बिक्रेता अपने बिक्री गतिविधियाँ कर रहा है, जिसे उक्त नोटिस की सेवा / का कार्य माना जाएगा।

17. **किसी फेरी बिक्रेता को शरीरिक रूप से स्थानांतरित करने या निकालने का तरीका :**

(1.) यदि फेरी बिक्रेता पैरा–15 के अनुसार नोटिस प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित स्थान परिवर्तित करने में विफल रहता है तब स्थानीय प्राधिकरण उसे बलपूर्वक हटा सकता है, यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस की सहायता से इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे/संबंधित फेरी बिक्रेताओं के सामान को जब्त कर लिया जायेगा।

(2.) कोई भी व्यक्ति जो बिक्री प्रमाणपत्र के बिना बिक्री का व्यवसाय कर रहा हो या अधिनियम की धारा 10 के तहत वेंडिंग का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया हो, उस व्यक्ति को लिखित रूप में 24 घंटे का नोटिस देकर हटा दिया जाएगा। यदि निर्धारित 24 घंटे में इस तरह के फेरी बिक्रेता जगह खाली नहीं करते हैं तब स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी पुलिस की सहायता से बलपूर्वक रूप से निष्कासन कर सकते हैं और इस तरह के फेरी बिक्रेताओं के सामान को जब्त कर सकते हैं।

(3.) प्रत्येक फेरी बिक्रेतां जो बक्री प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान को खाली नहीं करता है या दूसरी जगह नहीं जाता है तब उप–पैरा 1 या उप–पैरा 2 के तहत नोटिस में निर्दिष्ट 6 वीं अवधि की समाप्ति के बाद, ऐसी चूक के हर दिन के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस तरह का जुर्माना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो जब्त माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

अध्याय–VIII

माल की जब्ती

18. **स्थानीय प्राधिकरण द्वारा माल की जब्ती के तरीके** – अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के तहत एक फेरी बिक्रेतां के माल की जब्ती के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रकार से विचार किया जाएगा, जैसे–

(i) केवल स्थानीय प्राधिकरण से इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी ही माल की जब्ती करेंगे।

(ii) संबंधित अधिकारी द्वारा जब्त माल की सूची बनाकर इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा फेरी बिक्रेता द्वारा सह–हस्ताक्षर किया जाएगा; तथा

(iii) फॉर्म–viii में निर्दिष्ट तरीके से अधिकारी को फेरी बिक्रेतां के जब्त माल की पावती दी जानी चाहिए।

19. **जब्त माल और फीस को पुनः प्राप्त करने का तरीका** – फेरी बिक्रेतां, जिनके सामान जब्त किए गए हैं, यदि वह दो कार्य दिवसों के भीतर यह दावा करता है और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गई शुल्क का भुगतान करता है तो वह उसके सामान को पुनः प्राप्त कर सकता है।

SERIES II No. : 14	
DATED : 21ST APRIL, 2017.	

अध्याय–IX

विविध

20. अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 3 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा करने के तरीके – शहर बिक्री समिति कम से कम एक वर्ष मे एक बार अपनी गतिविधियों की लेखा-परीक्षा पूरी करेगी।

21. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के मानदंड और फेरी बिक्रेता के लिए नियम एवं शर्तें –

(i) स्थानीय प्राधिकरण, फेरी बिक्रेतांओं द्वारा स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कचरा सामग्री के निपटान के लिए एक उचित स्थान निर्दिष्ट करेगा।

(ii) फेरी बिक्रेता कचरे के पदार्थों के निपटान के लिए उचित कवर डस्टबिन का उपयोग करेंगे और इस्तेमाल किए गए पानी का भी एक कवर कंटेनर में निपटारा होना चाहिए।

(iii) फेरी बिक्रेता बिक्री साइट पर कूड़ा-कचरा नहीं बिखेरेंगे तथा बिक्री साइट पर सफाई बनाए रखेंगे।

22. फेरी बिक्रेताओं से संबधित उचित रिकार्ड और दस्तावेजों का रख-रखाव –

(1) शहर बिक्री समिति निम्नलिखित मामलों के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखेगी:-

(i) शहर बिक्री समिति की कार्यसूची पत्रों का विवरण और बैठकों के कार्यवृत्त

(ii) अद्यतन आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण प्रकिया (डिजिटल प्रारूप के साथ पहचान और पते के लिए जमा किए गए दस्तावेजों सहित) और अंतिम रिपोर्ट

(iii) फेरी बिक्रेताओं को साइटों के आवंटन और स्थानांतरण का विवरण

(iv) अपीलीय समिति और शिकायत निवारण समिति के सभी फैसले

(v) बिक्री प्रमाण पत्र का विवरण और जारी किए गए पहचान पत्र; तथा

(vi) पंचवर्षीय सर्वेक्षण शुरू करने हेतु कागजात

स्पष्टीकरण :

(1.) उप पैरा के उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण के परिणामों के रिकार्ड और स्थ्लों का आवंटन, बिक्री और कार्ड के प्रमाण पत्रों को स्थायी प्रकृति का माना जाएगा।

(2.) अपीलीय समिति इसके पहले अपील क्षेत्र से संबंधित रिकार्ड को बनाए रखेगी।

(3.) शिकायत निवारण समिति इसके पहले आवेदनों के क्षेत्र से संबंधित रिकार्ड को वनाए रखेगी

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

(4.) फेरी बिक्रेताओं से किये गये माल की जब्ती के रिकार्ड, माल की जब्ती के बाद फेरी बिक्रेताओं को दी गई रसीद के नीचे की प्रति (रसीद की दूसरी प्रति), जब्त माल के लिए दिया गया मुआवजा और फेरी बिक्रेताओं से बरामद जुर्माने का हिसाब स्थानीय प्राधिकारी रखेंगे।

23. **समयानुसार बिक्री गतिविधियों को चलाने के तरीके** – शहर की बिक्री समिति बाजार की जरूरत के आधार पर समयानुसार बिक्री गतिविधयों को निर्धारित करेगी।

24. **बिक्री क्षेत्रों का निर्धारण करने के सिद्धांत** – बिक्री क्षेत्रों को निर्धारित करने के सिद्धांत अधिनियम के पहले चरण की प्रविष्टि 3 के आधार पर आधारित होंगे।

25. **बिक्री क्षेत्र की क्षमता को निर्धारित करने और व्यापक औद्योगिक जनगणना और सर्वेक्षण करने के सिद्धांत** – बिक्री क्षेत्र की धारण क्षमता निर्धारित करने और व्यापक जनगणना व सर्वेक्षण करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण शहर बिक्री समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

हस्ता/-

(पी. पी. परमार)
सहायक सचिव (यू.डी.)
दमण एवं दीव

※※※

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र-I

(स्कीम का अनुच्छेद 3(1) देखें)
सर्वेक्षण फॉर्म

फेरीवाले का फोटा

1.	फेरीवाले का नाम	:	
2.	फेरीवाले के माता-पिता का नाम • माता • पिता	:	
3.	फेरीवाले पर आश्रित पति या पत्नी का नाम या नाबालिग पुत्र और अविवाहित पुत्री का नाम	:	पति/पत्नी ________ पुत्र ________ पुत्री ________
4.	जिस व्यक्ति का फोटो उद्धरित है उसकी उम्र और लिंग (स्त्री/पुरुष/विपरीत लिंगी)	:	
5.	फेरीवाले का स्थायी पता	:	
6.	फेरीवाले का वर्तमान पता जहाँ वें रह रहें हैं	:	
7.	संपर्क संख्या (अगर उपलब्ध हो)	:	
8.	वैवाहिक स्थिति	:	
9.	शैक्षणिक योग्यता	:	
10.	आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो)	:	
11.	वोटर आई डी संख्या या किसी और पहचान पत्र का विस्तृत विवरण	:	
12.	दिव्यांगता का विस्तृत विवरण (अगर उपलब्ध हो)	:	
13.	बिक्री की श्रेणियाँ (चलायमन, स्थिर) एवं अन्य कोई (निर्दष्टि करें)	:	
14.	सीमा चिन्ह के साथ स्थान और बिक्री की जगह का विवरण	:	
15.	बिक्री का समय (अगर साझा आधार पर हो)	:	
16.	स्थानीय प्रधाकारी का नाम	:	
17.	बिक्री प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख (यदि लागू हो)		
18.	अगर लाभार्थी के रूप में पहचान की गई तो सरकार की कोई भी योजना का प्रमाण जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, टीपीडीएस, एसजेएसआरवाय, वगेरे और विस्तृत जानकारी	:	
19.	बिक्री प्रमाणपत्र की वैधता(यदि लागू हो)	:	
20.	मौजूद लाइसेंस की संख्या (यदि कोई)	:	
21.	तारीख और मुहर के साथ अधिकारी के हस्काक्षर	:	

———

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र-II

(स्कीम का अनुच्छेद 3(7) देखें)
सर्वेक्षण फॉर्म

1. नगरपालिका का नाम :-
2. बिक्री क्षेत्र का नाम :-
3. बिक्री क्षेत्र के अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्र :-
4. बिक्री क्षेत्र की संख्या :-
5. पहचाने गये स्थिर फेरी बिक्रेता की संख्या :-
6. पहचाने गये चलायमान फेरी बिक्रेता की संख्या :-
7. पहचाने गये अन्य श्रेणी बिक्रेताओं की संख्या :-

क्रम सं.	फेरी बिक्रेता का नाम और पता	जगह का नाम अर्थात गली/सड़क/ बाजार	फेरी बिक्रेताओं की श्रेणी (चलायमान/ स्थिर/ अन्य कोई (उल्लिख्ति करें)	सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र	सर्वेक्षण की तरीख
1.					
2.					
3.					

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–III

(स्कीम का अनुच्छेद 4(1) देखें)
बिक्री प्रमाण–पत्र का प्रारूप

फेरीवाले का फोटा

क्रम सं.	अपेक्षित ब्यौरा	:	ब्यौरा
1.	बिक्रेता का नाम	:	
2.	पति या पत्नी का नाम यदि साथ में बिक्री करते हो।	:	
3.	बच्चों का नाम यदि साथ में बिक्री करते हो।	:	
4.	फेरी बिक्रेता की उम्र और लिंग	:	
5.	फेरी बिक्रेता का आवासीय पता	:	
6.	फेरी बिक्रेता की श्रेणी (चलायमान/ स्थिर/कोई अन्यं)	:	
7.	लेंडमार्क के साथ बिक्री का स्थल एवं विवरण	:	
8.	बिक्री का समय (यदि साझा आधार पर हो)	:	
9.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	:	
10.	बिक्री प्रमाणपत्र जारी होन की तिथि	:	
11.	प्रमाणपत्र की वैधता	:	से : तक :

निम्नलिखित शर्तों पर बिक्री प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

दिनांक :–

स्थान :–

अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–IV

(स्कीम का अनुच्छेद 4(4) देखें)
नये बिक्री प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन

क्रम सं.	अपेक्षित ब्यौरा	:	विवरण
1.	आवेदक का नाम	:	
2.	फेरी बिक्रेता की उम्र एवं लिंग	:	
3.	आवासीय पता	:	
4.	आश्रित पारिवारिक सदस्यों के नाम	:	
5.	फेरी बिक्री हेतु प्रस्तावित अंचल/वार्ड/क्षेत्र	:	
6.	आधार कार्ड संख्या या अन्य पहचान पत्र संख्या	:	

मैं शपथ लेता हूँ कि उपर्युक्त कोई भी जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह प्रमाणपत्र रद्द हो जाए गा

दिनांक :–

स्थान :–

अधिकारी के हस्ताक्षर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–V

(स्कीम का अनुच्छेद 4(5) देखें)
बिक्री हेतु नये आवेदनों का पंजीकरण

1. परिषद का नाम :
2. बिक्री क्षेत्र का नाम :
3. बिक्री क्षेत्र को शामिल करनेवाला प्रादेशिक क्षेत्र :

क्रम सं.	फेरी बिक्रेता का नाम व पता	आवेदन की तिथि	फेरी बिक्री हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आर्थात भूमि/गली/ बाजार का नाम	फेरी बिक्रेता की श्रेणी (स्थिर, चलायमान, अन्य)	आधार कार्ड संख्या या अन्य पहचान पत्र संख्या	अभ्युक्ति
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

दिनांक :-

स्थान :-

अधिकारी के हस्ताक्षर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–VI

(स्कीम का अनुच्छेद 4(7) देखें)

ऐसे फेरी बिक्रेताओं का पंजीकरण जिन्हें बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है

1. स्थानीय प्राधिकारी का नाम :

2. शहर बिक्री समिति के न्यायाधिकार क्षेत्र का नाम :

क्रम सं.	फेरी बिक्रेता का नाम, उम्र, लिंग व पता	बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि (____ से ____तक)	बिक्री प्रमाणपत्र संख्या	लेंडमार्क के साथ बिक्री स्थल का पता व विवरण	फेरी बिक्रेता की श्रेणी (स्थिर, चलायमान, अन्य)	बिक्री का समय (यदि साझा आधार पर हो)
1.						
2.						
3.						
4.						

दिनांक :-

स्थान :-

अधिकारी के हस्ताक्षर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–VII

(स्कीम का अनुच्छेद 7(2) देखें)

पहचान पत्र का प्रपत्र

फेरीवाले का फोटा

बिक्री श्रेणी संख्या .______________________________

1.		:	
2.	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या	:	
3.	आवासीय पता	:	
4.	आश्रित पारिवारिक सदस्यों के नाम	:	
5.	लेंडमार्क के साथ बिक्री का स्थल एवं विवरण	:	
6.	फेरी बिक्री का प्रस्तावित क्षेत्र	:	
7.	आधार कार्ड संख्या या अन्य पहचान पत्र संख्या	:	

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–VIII

(स्कीम का अनुच्छेद 8(52) देखें)
बिक्री प्रमाणपत्र का नवीकरण

क्रम सं.	अपेक्षित ब्यौरा	:	फेरी बिक्रेता का ब्यौरा
1.	आवेदक का नाम	:	
2.	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या	:	
3.	आवासीय पता	:	
4.	आश्रित पारिवारिक सदस्यों के नाम	:	
5.	लेंडमार्क के साथ बिक्री का स्थल एवं विवरण	:	
6.	फेरी बिक्री का प्रस्तावित क्षेत्र	:	
7.	आधार कार्ड संख्या या अन्य पहचान पत्र संख्या	:	

मैं शपथ लेता हूँ. कि उपर्युक्त कोई भी जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह प्रमाणपत्र रद्द हो जाए गा

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

SERIES II No. : 14
DATED : 21ST APRIL, 2017.

प्रपत्र–IX

(स्कीम का अनुच्छेद 18(iii) देखें)
जब्त वस्तुओं की सूची

क्रम सं.	वस्तुओ का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

जब्ती का दिनांक :

जब्ती का स्थान :

मुहर सहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

बिक्री प्रमाणपत्र संख्या
के साथ बिक्रेता के
हस्ताक्षर

Government Printing Press, Daman - 04/2017 – 250.
[Price Rs. 10.00]